



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 10.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri Gaurav Gogoi** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 35 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-


S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	RAFIUL HOQUE CHOWDHURY	BADRUL HOQUE CHOWDHARY, MOB- 7002060052	1	MISSA CANTT, ASSAM
2	ISHIKA SARMAH	JITEN SARMAH, MOB- 9435161322	5	MISSA CANTT, ASSAM
3	ARUP JYOTI GOSWAMI	ARYAMON GOSWAMI, MOB- 6001311215	6	GOLAGHAT, ASSAM
4	ABHINAB SAIKIA	JOGESWAR SAIKIA, MOB- 9864785356, 9954975565	3	GOLAGHAT, ASSAM
5	HARSHITA SAIKIA	MONUJ SAIKIA, MOB- 7002923078	2	GOLAGHAT, ASSAM
6	KASTURI BORA	PAPU BORA, MOB- 8812061294	6	GOLAGHAT, ASSAM
7	SUSANGKITA KASHYAP	PARTHA PROTIM BORPUZARI, MOB- 9435727601	3	GOLAGHAT, ASSAM
8	PINAKPAÑI DAS	PROSEN DAS, MOB- 6002738723	1	GOLAGHAT, ASSAM
9	SHUHAIL CHOUDHURY	MAINUL HOQUE CHOUDHURY, MOB- 9435004804	4	MISSA CANTT, ASSAM
10	SHREYOSHI DANIK	SANJIT BANIK, MOB- 6000376194	3	MISSA CANTT, ASSAM

पिता जितेंद्र

कृ. पृ. 3.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।


संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Gaurav Gogoi माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, GUWAHATI संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)